न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-48/2017

गोवण्डदान पुत्र माधोदान जाति चारण निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- घंडसीराम पुत्र चन्द्रा जाति हरिजन निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर।

2- बलबीर पुत्र

3- रामनिवास पुत्र

4- सिणकारी पत्नी

5- ज्याना पुत्री

(2 से 5) मोतीराम पुत्र जाति जाट निवासीगण चैलासी तहसील धोद जिला सीकर ।

6- दयालाराम दत्तक पुत्र तुलछाराम जाति हरिजन निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर।

7- राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ रोड सीकर जरिये मैनेजर ।

8- पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड सीकर जरिये मैनेजर।

9- बी0आर0के0जह0बी0 शाखा नवलगढ रोड सीकर जरिये मैनेजर ।

10-पटवारी हल्का श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर ।

11- उप पंजीयक धोद ।

12- तहसीलदार धोद ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 17-5-2017 द्वारा

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बनवारीलाल बरवड़ एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3- श्री दिनेशकुमार मण्डिवाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
भू-प्रबन्ध अधिकारी

निर्णय दिनांक-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 334/575 रकबा 1.16 हैक्टर, ख0नं0 335 रकबा 0.02 हैक्टर ख0नं0 336 रकबा 3.32 हैक्टर, ख0नं0-337 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 338 रकबा 1.46 हैक्टर कुल किता-5 रकबा 6.76 हैक्टर वाके ग्राम चैलासी वादी एवं प्रतिवादी सं0-1, 2, 3 व 5 के पिता एवं प्रतिवादी सं0- 4 के पति मोतीराम व प्रतिवादी सं0-6 के दत्तक पिता तुलछाराम की खातेदारी की है। मौके पर बंटी हुई है। वादी ख0नं0 337 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण पर ऐकाकी काबिज काश्तकार है। तथा शेष ख0नं0 334/575, 335, 336, 338 पर प्रतिवादी सं0-1 काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0-2 से 6 का मौके पर कोई कब्जा नहीं है ।संयुक्त खातेदारी होने से प्रतिवादी सं0-2 से 6 वादी के कब्जा काश्त की भूमि ख0नं0 337 पर बलात कब्जा करने पर आमादा है तथा आराजी को विक्रय करने पर आमादा है ।अत: दावा स्वीकार कर खाता अलग अलग किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत में काउण्टर वाद का न तो जबाब लिया और न ही जबाब बन्द किया गया तथा न ही प्रतिवादी संख्या-6 से जबाब दावा लिया और न ही उसका जबाब दावा बन्द किया गया । अदालत मातहत ने बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये दावा में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो विधिक प्रक्रिया की बिना पालना किये जारी की गई है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद का कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अदालत मातहत ने न्याय शास्त्र के सिद्धान्तो की कोई पालना ना कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने दावे को बिना पढे ही निर्णय पारित किया है । वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या-। द्वारा विवादित भूमियों में से विशिष्ट भू-भाग बाहमी बंटवारे के अनुसार स्वयं को दिये जाने का क्लेम किया गया है जो बाद साक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गोर न कर काउण्टर दावे पर कोई निर्णय नहीं करते हुये दावे में विधि विरूद्ध प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में विवादित आराजी ख0नं0 334/575, 335, 336, 337, 338 कुल किता-5 रकबा 6.76 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पो सं0-। से 6 एवं इनके पूर्वजों के नाम दर्ज रेकार्ड है । दावा विवादित आराजी के बंटवारे को लेकर है । खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है । अदालत मातहत जबाब दावा एवं काउण्टर वाद आने के बाद ही दावे में केवल प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसमें-।- यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवाये ।

2- पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा का प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

3- यदि उपरोक्त बिन्दू सं0-। व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये है तथा पक्षकारो को नोटिस देकर विभाजन प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील ...

भिजवाने के निर्देश दिये हैं । अदालत मातहत ने दावा खाता विभाजन का होने पर उपरोक्त बिन्दूओं पर विभाजन प्रस्ताव के निर्देश दिये हैं। विभाजन प्रस्ताव आने पर अपीलान्ट विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज कर सकते हैं। अदालत मातहत का निर्णय विधिनुसार उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-5-2017 यथावत रखा जाता है

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

5/3/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर